न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/09	01–1–2019	18–11–2020

01–लाल सिंह पुत्र बनवारी जाति जाटव निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर अलवर तहसील अलवर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 21–06–2015 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 852 ग्राम भजीट तहसील अलवर में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया गया है।

उपस्थित :–

01. श्री दान सिंह –वकील अपीलाण्ट

02. पैरोकार सरकार –राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 21–06–2015 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 852 वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम लाल सिंह पुत्र बनवारी लाल है ना कि लालाराम पुत्र बनवारी लाल है। इंतकाल में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट के दादा श्रवण कुमार उर्फ श्रवण लाल के नाम दर्ज खातेदारी की रही है। अपीलान्ट की पिता बनवारी लाल का भी देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट के दादा मृतक श्रवणलाल के वारिसानों में से चमेली, संजा पुत्रीयान स्व0 श्रवण कुमार उर्फ श्रवणलाल द्वारा जर्ये दस्तावेज हक त्याक रिलीज डीड दिनांक 12.3.2014 से अन्य वारिसों के हक में अपना हक त्याग कर दिया है। अपीलान्ट का नाम सहवन से लालाराम दर्ज कर दिया। तहत अदालत ने दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया और अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के विपरीत अपीलीय आदेश पारित कर दिया। इसके अभाव में अपीलान्ट को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अपीलान्ट का नाम लाल सिंह है जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, रिजील डीड, पेश की है। तहत अदालत द्वारा के संबंध में दर्ज करते समय किसी प्रकार के रिकार्ड व मौका की जांच नही की गई इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। जिसकी

जिला कलेक्टर

बाबत अपीलान्ट द्वारा पहचान पत्र व राशन कार्ड आदि की प्रति पेश की थी जिन दस्तावेजात पर कोई गौर नही किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम माह नवम्बर 2018 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करना चाहिऐं। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरूद्ध दिनांक 24–12–2018 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि इंतकाल संख्या– 852 में अपीलान्ट का नाम "लालाराम" अंकित किया है जबकि उसका वास्तविक नाम "लालसिंह" है। अपीलान्ट का सही नाम लाल सिंह के बाबत आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, रिलीज डीड, जो पेश किये है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का नाम लालसिंह हैं। तहत अदालत ने इंतकाल स्वीकार करते समय अपीलान्ट के नाम की जांच नही की। अतः इस तथ्य की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अपील अपीलान्ट रिमाण्ड किया जाना उचित समझतें है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 21–06–2015 बाबत नामान्तरण संख्या–852 ग्राम भजीट तहसील अलवर जिला अलवर "लालाराम" के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रिलीज डीड, की जांच कर रिलिज डीड, में वर्णित "लालसिंह" की शुद्वीकरण कर निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आमन्त्री)
जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)